18.03.2026

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई हेतु पेश हुआ। आवेदक/अभियुक्त लाखन सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल न दिए जाने का कथन करते हुए, तत्सम्बन्धित पृष्ठांकन अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र व आदेशपत्र के हांशिए पर अंकित किया गया है।

तद्नुसार प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र, अभियुक्त की तरफ से बल न दिए जाने के आधार पर, निरस्त किया जाता है।

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D. No. UP 1910

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.03.18 16:57:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court